



श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष

निवेदन- 9102-88X-16

- 1- खाजू पिता आलम नायता पटेल
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
निवासी - ग्राम मगरखेडा तहसील सांवेर जिला इन्दौर
- 2- शफी पिता आलम नायता पटेल
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
निवासी - ग्राम मगरखेडा तहसील सांवेर जिला इन्दौर
- 3- गनी पिता आलम नायता पटेल
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
निवासी - ग्राम मगरखेडा तहसील सांवेर जिला इन्दौर --- प्रार्थीगण

विरुद्ध

- 1- श्रीमती मानाबाई पति स्व. दिलीपसिंह राजपूत
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
- 2- जयसिंह पिता स्व. दिलीपसिंह राजपूत
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
निवासी - ग्राम मगरखेडा तहसील सांवेर जिला इन्दौर --- प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 29 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

अधीनस्थ अपर आयुक्त महोदय इन्दौर (पीठासीन अधिकारी श्री एस. एस. सलूजा) के समक्ष लम्बित प्रकरण 252/अपील/15-16 के अन्तरण बाबद याचिका।

प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय इन्दौर द्वारा प्रकरण क्र. 9-अ/15-16 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 से

श्री/श्रीमती/श्रीमान
अभिमान का
पुत्र/पुत्री/पुत्र
या/यात्री/यात्री
24/6/16
शुभ

22.6.2016

अवेदकगण की ओर से श्री
हरीश शोलेकी आभिभावक उपाधिका।
आग्रहता पर मुना गया। अपराधक
इसी माह सेवा निवृत्त हो रहे हैं।
अन्य प्रकार अंतरित करने का

आदि के हस्ताक्षर

आवेदन नहीं होने से प्रकृत
आग्रह किया जाता है।

अन्य

अध्यक्ष